सं.एं-20011/26/2018-हिंदी

भारत सरकार, गृह मंत्रालय

समन्वय निदेशालय (पुलिस बेतार)

खण्ड-9 के.स.का.परिसर

लोधी रोड़, नई दिल्ली-3

दिनांक-26/02/2019

परिपत्र

विषय :- हिन्दी में कार्य करने के लिए प्रोत्साहन योजना।

उपर्युक्त विषय पर गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग के दिंनाक 14-09-2016 के कार्यालय ज्ञापन सं. 12013/01/2011-रा.भा.(निति) द्वारा परिचालित अनुदेशों के अनुपालन में इस निदेशालय के मुख्यालय और अंतर राज्य पुलिस बेतार स्टेशनों के अधिकारियों और कर्मचारियों को जो अपना सरकारी कामकाज हिंदी मे करते है, को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से निदेशालय में प्रोत्साहन योजना लागू की गयी है।

2. उपर्युक्त योजना में प्रत्येक कार्यालय के लिए नकद पुरस्कार की राशि निम्नलिखित है :-

पहला पुरस्कार (दो पुरस्कार)	**5000/-रुपये प्रत्येक**
दूसरा पुरस्कार (तीन पुरस्कार)	**3000/-रुपये प्रत्येक**
तीसरी पुरस्कार (पाँच पुरस्कार)	**2000/-रुपये प्रत्येक**

3. अपना पूर्ण आँशिक कामकाज मूलरुप से हिंदी में करने वाले सभी श्रेणी के कर्मचारी और अधिकारी जो **'क' और 'ख'** क्षेत्र में कार्यरत अधिकारी और कर्मचारी एक वर्ष में कम से कम 20,000 शब्द तथा **'ग'** क्षेत्र में कार्यरत अधिकारी और *कर्मचारी* एक वर्ष में कम से कम 10,000 शब्द हिंदी में लिखते हैं वे इस योजना में भाग ले सकते है।

4. अधिकारियों और कर्मचोरियों द्वारा किए गये हिंदी कार्य के मूल्यांकन के लिए मूल रुप से टिप्पण और आलेखन के अतिरिक्त हिंदी में किये गये अन्य कार्य जिनका सत्यापन किया जा सके जैसे रजिस्टरों में इन्दराज, सूचियां बनाना, लेखा कार्य आदि भी शामिल किये जा सकते है।

5. जिन प्रतियोगियों की मातृभाषा तमिल, तेलगु, कन्नड़, मलयालम, बंगला, उड़िया और असमिया हैं उन्हें 20% तक अकों का लाभ दिया जायेगा ऐसे व्यक्ति अपना हिंदी का ब्यौरा भेजते समय अपनी मातृभाषा का भी उल्लेख करे।

6. मुख्यालय, पोलनेट हब स्टेशन, केन्द्रीय पुलिस रेडियो प्रशिक्षण संस्थान तथा अंतर राज्य पुलिस बेतार स्टेशनों के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों से अनुरोध है कि वे **01 अप्रैल 2018 से 31 मार्च 2019** तक हिंदी मे किए गये अपने कार्य का सम्पूर्ण ब्यौरा संलग्न प्रपत्र में भरकर उचित माध्यम द्वारा **31 मई, 2019** तक हिंदी अनुभाग को अवश्य भेजने का कष्ट करें, **इसके उपरान्त प्राप्त होने वाले ब्योरे पर विचार नहीं किया जाएगा।**

7. कार्य का ब्यौरा शाखा अधिकारी/अनुभाग अधिकारी/ स्टेशन प्रभारी द्वारा प्रति माह प्रमाणित होना चाहिए और इसके साथ संलग्न नमूने के अनुसार एक प्रमाण पत्र भी दें कि प्रतियोगी द्वारा किए गए हिंदी कार्य का ब्यौरा सही है। अग्रेषित करने वाले अधिकारियों से यह भी अनुरोध है कि वह कार्य का ब्यौरा भेजते समय प्रत्येक प्रतियोगी को विचारों की स्पष्टता के लिए कुल 30 अकों मे से अंक भी प्रदान करें।

26/2/19

(विद्याधर)

उप निदेशक (राजभाषा)

संलग्नक: यथोपरि

प्रतिलिपि :-

1. निदेशक के प्रधान निजी सचिव/अपर निदेशक (मुख्या.) के निजी सचिव ।
2. सभी अनुभाग अधिकारी /सभी अंतर राज्य पुलिस बेतार स्टेशन ।
3. पोलनेट हब स्टेशन, समन्वय सदन, सीरीफोर्ट रोड, नई दिल्ली।
4. संचार/बीजलेख केन्द्र नॉर्थ ब्लाक नई दिल्ली।
5. के.पु.रे.प्र.संस्थान/के.पु.रे.प्र. संस्थान (बीजलेख स्कंथ),वन्दे मातरम मार्ग, नई दिल्ली।
6. फाइल ।